दूरभाष / फैक्स :–0522–2070006
ईमेल–statelawcommission2018@gmail.com

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग

मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डेन, प्रशासनिक भवन, ब्लाक–बी0, आलमबाग, लखनऊ–226005।

पत्रांक : 59 / रा0वि0आ0 / निवि / 2025 दिनांक : 28 / जनवरी / 2026

प्रतिष्ठा में,

समस्त जिला जज,
उत्तर प्रदेश।

विषयः कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 को अवक्रमित करके समेकित एकल अधिनियम बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षित है कि स्वतंत्रता पूर्व अधिनियमों को यथावश्यक अवक्रमित कर दिया जाए अथवा वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित / परिमार्जित करके पुनः अधिनियमित किया जाए। इसी क्रम में न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–668 / सात–न्याय–2–2024–79–जी / 2024, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 के दृष्टिगत कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 को अवक्रमित करके समेकित एकल अधिनियम निर्मित किये जाने के प्रकरण का परीक्षण उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग में किया जा रहा है। परीक्षणोंपरान्त सम्बन्धित अधिनियम का विधेयक भी प्रारूपित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के आलोक में निदेशानुसार निम्न बिन्दुओं पर आपका, आपके अधीनस्थ सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों एवं जनपद के प्रबुद्ध बार एसोसिएसन का बहुमूल्य परामर्श / सुझाव निवेदित है:–

1– कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 के संगत प्राविधानों को संशोधित / प्रतिस्थापित / निरसित किये जाने हेतु,
Amendment/Substitution/Repeal in/of relevant provisions of Court Fees Act, 1870 and Suit Valuation Act, 1887,

2– उपरोक्त अधिनियमों में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित नये प्राविधान,
Proposal for insertion of new provisions in aforesaid Act,

3– कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 के अन्तर्गत उदगृहीत किये जाने वाले कोर्ट फीस के दरों का युक्ति संगत किया जाना,
Rationalization of relevant rate of Court Fees leveid under Court Fees Act, 1870,

4– वाद मूल्यांकन की कठिनाईयों का निवारण एवं उसे अधिक सुगम किये जाने हेतु,
Removal of difficulties in suit valuation and making it more explicit,

5– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में त्वरित न्याय हेतु अन्य सुझाव एवं परामर्श,
In view of above other suggestions and advice for speedy justice,

कृपया उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को एक माह के अन्दर उपरोक्त परामर्श / सुझाव से लाभान्वित करने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीय,

(वीर भद्र)
सचिव

[illegible]
अवलोकित। समस्त न्यायिक अधिकारियों से सुझाव अन्दर 15 दिवस आहूत हों। प्रति सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन को सुझाव हेतु प्रेषित हो। वेबसाइट पर अपलोड हो।
जि0जज
28/1/25

Scanned with OKEN Scanner